न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3604–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 184/2. 11–12/अपील.

———

1– बलवीर सिंह
2– पूरन सिंह
पुत्रगण स्व. रामगोपाल सिंह
निवासीगण ग्राम जखमोली तहसील व
जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

मूना सिंह पुत्र दुलारे सिंह कुशवाह
निवासी ग्राम जखमोली तहसील
व जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड़ ।

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. डी. शर्मा ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17–4–15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 184/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–9–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार वृत्त ऊमरी ने अपने प्र0क्र0 21/2006–07/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 21–2–07 के द्वारा ग्राम जखमौली स्थित विवादित भूमि का नामांतरण वसीयतनामे के आधार पर किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपील एस.डी.ओ. भिण्ड के न्यायालय

में की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 17–8–12 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त किया एवं विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि मृतक बदनसिंह जो अविवाहित थे, आवेदकों के सगे चाचा थे जो जीवन पर्यन्त आवेदकों के साथ रहे । बदनसिंह द्वारा कोई वसीयत अनावेदक के पक्ष में नहीं की गई । अनावेदक मृतक बदनसिंह से असंबंधित व्यक्ति होकर दूर के सदस्य हैं । अनावेदक द्वारा फर्जी वसीयत तैयारा कराकर आवेदक जो बदनसिंह के वारिस हैं, उन्हें सूचना दिए बिना नामांतरण दिनांक 30.9.11 को करा लिया । पटवारी से दिनांक 30.9.11 को जानकारी होने पर आवेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जिसके साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए अपील को स्वीकार किया जाकर आवेदकों के मृतक भूमिस्वामी के निकट वारिस होने के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए हैं । अपर आयुक्त ने एस.डी.ओ. के विधिसम्मत आदेश को निरस्त कर त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण को मृतक बदनसिंह के वैध वारिस होते हुए भी उन्हें बिना सूचना दिए तथा विधिवत इश्तहार का प्रकाश कराए बिना नामांतरण आदेश दिया गया है जो निरस्ती योग्य है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने एवं एस.डी.ओ. के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य थी, एस.डी.ओ. द्वारा परिसीमा के प्रश्न का विनिश्चयन नहीं किया गया है ऐसी

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है । अनावेदक द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष आवेदकों की ओर से प्रस्तुत आवेदन का मय शपथपत्र के साथ खंडन किया गया किंतु एस.डी.ओ. द्वारा अनावेदक के जबाव पर किंचित मात्र विचार नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे अवैध आदेश को सही ही अपास्त किया गया है और द्वितीय अपील न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा 1980 जे.एल.जे. 641 का संदर्भ दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि एस.डी.ओ. द्वारा वसीयत को केवल इस आधार पर संदिग्ध माना है कि नोटरी क्यों कराया गया है, एस.डी.ओ. का उक्त निष्कर्ष अवैध एवं अनुचित है क्योंकि वसीयतनामा का पंजीकरण या नोटरीकृत होना आवश्यक नहीं है । इस संबंध में 1996 आर.एन. 329 उद्धरित किया गया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह कर्त्तव्य था कि वे सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन कर प्रकरण का निराकरण करते किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया इस कारण द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उनके आदेश को सही ही अपास्त किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा 1959 जेएलजे 627 एवं 1986 आर.एन. 258 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि वसीयतनामे को अनावेदक ने अनुप्रमाणक साक्षियों के कथनों से साबित किया है और जब वसीयतनामा को अनुप्रमाणक साक्षियों के कथनों से साबित कर दिया जाता है तब वसीयतग्रहीता का नामांतरण किया जाये इस कारण विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है और उसे अपर आयुक्त ने विधिवत स्थिर किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा 1989 (1) एमपी वीकली नोट नं. 211 एवं 234 तथा 1996 आर.एनल. 329 को संदर्भित किया गया है । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वसीयतकर्ता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए विशेषतः ऐसी परिस्थितियों में जबकि वसीयतकर्ता बदनसिंह और आवेदकों के पिता के मध्य मुकदमा बाजी चली हो । इस संबंध में उनके द्वारा 1988 (2) एम. पी. वीकली नोट 19 को उद्धरित किया गया है । उक्त आधारों पर अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख से एवं उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत सजरा खानदान से यह प्रमाणित है कि मृतक भूमिस्वामी बदनसिंह आवेदकों के सगे चाचा थे जबकि अनावेदकों के पिता के चचेरे भाई थे । इस कारण जहां तक निकटतम वारिस होने का प्रश्न है यह निर्विवादित है कि आवेदकगण मृतक भूमिस्वामी के निकटतम वारिस हैं । 6/ विचारण न्यायालय के अभिलेख को देखने से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण के जो आदेश अनावेदक के पक्ष में दिए गए हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है, जो साक्ष्य उपलब्ध है उससे वसीयत को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत पेश किया जाना भी अभिलेख से प्रमाणित नहीं है । प्रकरण में तथाकथित वसीयत की छाया प्रति संलग्न है जिसे साक्षियों द्वारा प्रदर्श नहीं करवाया गया है । तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 7–2–07 को प्रकरण मौजा पटवारी की रिर्पोट हेतु नियत किया गया है और पेशी दिनांक 14–2–07 नियत की गई है । दिनांक 14–2–07 की आदेश पत्रिका में पटवारी रिर्पोट प्राप्त होने का उल्लेख है और प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने का उल्लेख कर प्रकरण आदेश के लिए दिनांक 21–2–07 को नियत किया गया और 21–2–07 को आदेश पारित किया गया है । दिनांक 7–2–07 के उपरांत पटवारी को रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु कब पत्र जारी किया गया इसका कोई उल्लेख अभिलेख में नहीं है और ना ही उसकी कोई प्रति अभिलेख में है । तहसील न्यायालय के अभिलेख में पृष्ठ 29 पर एक रिर्पोट संलग्न है उक्त रिर्पोट किस दिनांक को पेश की गई है और किसके द्वारा दी गई है इसका उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त पृष्ठ 31 पर पटवारी मौजा, जखमोली को भेजा गया नोटिस लगा हुआ है इसमें मामले की सुनवाई दिनांक 28–2–07 को किए जाने का उल्लेख है और यह सूचनापत्र दिनांक 23–2–07 को जारी किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में 33 पर इश्तहार की प्रति संलग्न है, जिसमें एक प्रति ग्राम चौपाल पर, एक प्रति ग्राम में ढोढ़ी पिटवाने हेतु तथा एक प्रति तहसील बोर्ड पर चस्पा हेतु जारी की गई है किंतु इश्तहार के पृष्ठ भाग पर तहसील नोटिस बोर्ड पर तथा एक प्रति ग्राम

पंचायत की चौपाल पर चस्पा करने का उल्लेख ग्राम में ढोडी पिटवाई गई इसका कोई उल्लेख नहीं है । तहसील नोटिस बोर्ड पर ग्राम पंचायत की चौपाल पर प्रति कब चस्पा की गई इसका भी कोई उल्लेख रिर्पोट पर नहीं है । उक्त समस्त स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि विचारण न्यायालय में जो कार्यवाही हुई है वह न्यायिक परंपरा के विपरीत होकर किसी भी दृष्टि से पुष्टि योग्य नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए तहसील द्वारा किए गए नामांतरण आदेश को निरस्त कर उत्तराधिकार के आधार नामांतरण के आदेश देने में कोई विधिक और न्यायिक त्रुटि नहीं की गई है । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को पूरी तरह अनदेखा कर वसीयत को प्रमाणित मानने का निष्कर्ष निकालते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता और अनियमितता की गई है । जहां तक अनावेदक अधिवक्ता द्वारा एस.डी.ओ. द्वारा विलंब के संबंध में की गई आपत्ति पर विचार न किये जाने का प्रश्न है । जैसाकि ऊपर विवेचना की गई है कि विचारण न्यायालय की सारी कार्यवाही न्यायिक परंपरा के विपरीत होकर संहिता के प्रावधानों के विपरीत है इस कारण इस प्रकरण में विलंब का प्रश्न महत्वहीन है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है और अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 26–9–2013 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–12 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर